जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नजीबाबाद   दिनांक 21.03.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 132/24 धारा 302/201 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 18.03.2024 को थाना नजीबाबाद क्षेत्रान्तर्गत मालन नदी के पुल के पास अदब सिटी के सामने खाली प्लाट में अज्ञात युवती का शव मिला। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया तथा पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। शव की शिनाख्त की गयी।

दिनांक 20.03.2024 को मृतका के पिता ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर देकर अवगत कराया कि उसका साढ़ू सचिन शर्मा पुत्र रामशरण शर्मा निवासी मौ0 रम्पुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर के उसकी 23 वर्षीय बेटी के साथ हरिद्वार में साथ रहकर काम करता था। अभियुक्त सचिन शर्मा उसकी बेटी से पीछा छुडाना चाहता था, जिस कारण उसने वादी की बेटी की हत्या कर दी। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 132/24 धारा 302 भादवि बनाम सचिन शर्मा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि वह मृतका का सौतेला मौसा है और उसकी मृतका के साथ मित्रता थी, जिस कारण मृतका उसके साथ हरिद्वार में रहने की जिद कर रही थी तथा मना करने पर पुलिस में शिकायत करने की धमकी दे रही थी। जिस कारण दिनांक 14.03.2024 की रात्रि में अभियुक्त द्वारा मृतका को मालन नदी के पास सुनसान रास्ते पर ले गया तथा उसकी हत्या कर दी और शव को बाउन्ड्री से घिरे प्लाट में छिपा दिया।

कार्यवाही का विवरण -

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 132/24 धारा 302 भादवि में वांछित अभियुक्त सचिन शर्मा पुत्र रामशरण शर्मा निवासी ग्राम पडसर थाना मौहम्दी जनपद खीरी हाल निवासी मौ0 रम्पुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशादेही पर मृतका का बैग बरामद किया गया है तथा अभियोग में धारा 201 भादवि की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सचिन शर्मा पुत्र रामशरण शर्मा नि0 ग्राम पड़सर थाना मौहम्दी जनपद खीरी हाल निवासी मौ0 रम्पुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरणः-

मृतका का बैग

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. श्री राजेन्द्र सिंह पुण्डीर, प्रभारी निरीक्षक थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2. व0उ0नि0 श्री इलम सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
3. उ0नि0 श्री जोगेन्द्र सिंह बैसला थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
4. मुख्य आरक्षी 403 अनिल कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
5. मुख्य आरक्षी 497 भारत मलिक थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
6. आरक्षी 2043 रोहित कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
7. आरक्षी 1042 समोद कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर   दिनांक – 21.03.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस व स्टेटिक टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मैगनेट गाडी से 3,50,000 /- (तीन लाख पचास हजार) रूपये की नगदी की बरामद।

कार्यवाही –

लोकसभा सामान्य निर्वाचन – 2024 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रुप से संपन्न कराने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में बैरियर लगाकर अवैध शराब, नगदी व अन्य अवैध सामाग्री के परिवहन पर पूर्णतयाः अंकुश लगाने व संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की लगातार सघन चेकिंग के निर्देशन के अनुपालन में थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत चौकी भगीरथ गंगा (बैराज चौकी) के बैरियर पर दिनांक 20/21.03.2024 की रात्रि में चेकिंग के दौरान थाना कोतवाली शहर पुलिस व स्टेटिक टीम द्वारा मैगनेट कार रजि0नं0 UP20BZ7683 को चेक किया गया तो गाडी से 03 लाख 50 हजार रूपये 500 – 500 के नोटों की कुल 06 गड्डी व 100-100 के नोटों की कुल 05 गड्डी बरामद की गयी। गाडी को फिरदौस पुत्र इरफान निवासी निवासी ग्राम सदुपुरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर चला रहा था। कार चालक ने बरामद नगदी के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नही दिया और न ही कोई वैध प्रपत्र प्रस्तुत किया गया। चेकिंग टीम द्वारा बरामद नगदी को नियमानुसार कब्जे में लिया गया तथा आयकर विभाग को सूचना दी गयी। इस सम्बन्ध में अन्य वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी –

03 लाख 50 हजार रूपये (500 – 500 के नोटों की कुल 06 गड्डी व 100-100 के नोटों की कुल 05 गड्डी)

बरामदगी करने वाली टीम –

1. स्टेटिक मजिस्ट्रेट श्री सुशील कुमार (ए0डी0जी0ओ0) कोपरेटिव विभाग
2. उ0नि0 श्री ब्रहम सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3. मुख्य आरक्षी 335 धर्मवीर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4. का0 109 राजीव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
5. का0 1492 रोहित कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नांगल **दिनांक – 21.03.2024**

थाना नांगल पुलिस द्वारा अपमिश्रित शराब बनाये जाने की भट्टी को किया नष्ट, 200 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद। मौके पर 7,000 लीटर लाहन नष्ट।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण/विक्रय/परिवहन आदि मे संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध निरन्तर अभियान चलाकर कडी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम मे थाना नांगल पुलिस द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण के विरुद्ध ड्रोन कैमरे से सर्च अभियान चलाकर जंगल ग्राम नांगल गंगा खादर में छापेमारी की गयी तो एक स्थान पर शराब भट्टी लगाकर अवैध अपमिश्रित शराब का निर्माण कर रहे अभियुक्तगण 1.प्रेम व 2.रामपाल पुत्रगण समेरू निवासीगण रणजीतपुर थाना लक्सर जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) को मौके पर 200 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया व करीब 7,000 लीटर लाहन मौके पर नष्ट किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व अवैध कच्ची शराब की बरामदगी के आधार पर थाना नांगल पर मु0अ0सं0 68/2024 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम बनाम प्रेम व रामपाल उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.प्रेम पुत्र समेरू निवासी रणजीतपुर थाना लक्सर जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
2.रामपाल पुत्र समेरू निवासी रणजीतपुर थाना लक्सर जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

बरामदगी –

200 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, एक शराब भट्टी, 04 ड्रम, एक बाल्टी, एक पतीली, रबर पाईप आदि
7,000 लीटर लाहन मौके पर नष्ट

पुलिस टीम का विवरण –

1.श्री अशोक कुमार थानाध्यक्ष थाना नांगल जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 गौरव कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर
3.मुख्य आरक्षी 849 बहोरन सिंह थाना नांगल जनपद बिजनौर
4.कां0 1211 संजय सैनी थाना नागल जनपद बिजनौर
5.कां0 1074 राजीव कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना हल्दौर दिनांक 21.03.2024

थाना हल्दौर पुलिस ने अभियुक्त को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभियुक्त देशराज पुत्र छितानीलाल नि0 ग्राम बसेढी थाना कोखराज जनपद कोशाम्बी उ0प्र0 को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 85/24 धारा 60(1) आबकारी अधि0 बनाम देशराज उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

देशराज पुत्र छितानीलाल नि0 ग्राम बसेढी थाना कोखराज जनपद कोशाम्बी उ0प्र0।

बरामदगी का विवरणः-

10 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. का0 628 आशीष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
2. का0 2022 आकाश शर्मा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना हल्दौर **दिनांक 21.03.2024**

थाना हल्दौर पुलिस ने अभियुक्त को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभियुक्त ताराचन्द पुत्र कृपाल सिंह नि0 ग्राम अम्हेडा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 87/24 धारा 60(1) आबकारी अधि0 बनाम ताराचन्द उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

ताराचन्द पुत्र कृपाल सिंह नि0 ग्राम अम्हेडा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरणः-

10 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. का0 1389 ओमवीर सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
2. का0 773 शुभम राठी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना हल्दौर दिनांक 21.03.2024

थाना हल्दौर पुलिस ने अभियुक्त को 20 पव्वे देशी शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभियुक्त दीपांशु पुत्र दिनेश नि0 ग्राम अम्हैडा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को 20 पव्वे देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 86/24 धारा 60(1) आबकारी अधि0 बनाम दीपांशु उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

दीपांशु पुत्र दिनेश नि0 ग्राम अम्हैडा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरणः-

20 पव्वे देशी शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. का0 1389 ओमवीर सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
2. का0 773 शुभम राठी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

जनपद बेजनौर

प्रेस नोटः- थाना शेरकोट दिनांक- 21.03.2024

थाना शेरकोट पुलिस ने मु0अ0सं0 45/2024 धारा 363/366//376(3) भादवि व ¾(2) पॉक्सो एक्ट व 16/17 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 10.03.2024 को वादी द्वारा थाना शेरकोट पर तहरीर दी कि वादी की पुत्री को अभियुक्त अजय पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम हरेवली थाना शेरकोट जनपद बिजनौर बहला फुसलाकर ले गया। तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 45/2024 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्माक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग में 1. पप्पू पुत्र रुप सिंह निवासी ग्राम हरेवली थाना शेरकोट जनपद बिजनौर व 2.सचिन पुत्र हरिओम निवासी ग्राम नागरपुर खडकसैन थाना शेरकोट जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया तथा अभियोग में धारा 366/376(3) भादवि व 3/4 (2) पॉक्सो एक्ट व 16/17 पॉक्सो एक्ट की वृध्दि की गई। दिनांक 18.03.2024 को पुलिस द्वारा अपहृर्ता को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.03.2024 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त 1.अजय पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम हरेवली थाना शेरकोट जनपद बिजनौर 2.पप्पू पुत्र रुप सिंह निवासी ग्राम हरेवली थाना शेरकोट जनपद बिजनौर 3.सचिन पुत्र हरिओम निवासी ग्राम नागरपुर खडकसैन थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.अजय पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम हरेवली थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
2.पप्पू पुत्र रुप सिंह निवासी ग्राम हरेवली थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
3.सचिन पुत्र हरिओम निवासी ग्राम नागरपुर खडकसैन थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री आशीष पुनिया थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
2.मुख्य आरक्षी 418 अरुण कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
3.का0 993 आकाश धामा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
4.का0 979 सचिन कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
5.हो0गा0 1637 घनानन्द थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर   दिनांक – 21.03.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा 06 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 06 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	मण्ड़ावली	जीशान पुत्र हनीफ नि0 ग्राम औरंगपुर भिक्कू थाना मण्ड़ावली जनपद बिजनौर
2	मण्ड़ावली	ओमकार पुत्र खुशीराम नि0 ग्राम रामदासवाली थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
3	नजीबाबाद	शौकीन पुत्र तौला नि0 ग्राम इस्सेपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4	हीमपुर दीपा	नवाब पुत्र रफीक अहमद नि0 ग्राम गांगू नंगला थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
5	अफजलगढ	फरीद पुत्र अख्तर हुसैन नि0 ग्राम मानियावाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
6	अफजलगढ	साबिर पुत्र अली हुसैन नि0 ग्राम मानियावाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

थाना मण्डावली

थाना नजीबाबाद

थाना हीमपुर दीपा

थाना अफजलगढ

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना हल्दौर **दिनांक 21.03.2024**

थाना हल्दौर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.03.2024 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त शमशेर अली पुत्र जाफर निवासी ग्राम तोफापुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना हल्दौर पर मु0अ0स0 88/24 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :–

शमशेर अली पुत्र जाफर निवासी ग्राम तोफापुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरणः-

01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.हे0का0 821 विक्रम सिंह थाना हल्दौर जिला बिजनौर

2.हे0का0 659 शरवर अली थाना हल्दौर जिला बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना मंड़ावर **दिनांक- 21.03.2024**

थाना मंड़ावर पुलिस ने 02 अभियुक्तों को अवैध शस्त्रों सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.03.2024 को थाना मंड़ावर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर भिन्न -भिन्न स्थानों से चेकिंग के दौरान अभियुक्त अर्जुन पुत्र जीवन नि0 मौहण्डिया थाना मंडावर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना मंड़ावर पर मु0अ0स0 105/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम अर्जुन उपरोक्त पंजीकृत किया गया व अभियुक्त सावन पुत्र बाकिर नि0 चाहडवाला थाना मंडावर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 106/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम सावर उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :–

1.अर्जुन पुत्र जीवन नि0 मौहण्डिया थाना मंडावर जनपद बिजनौर

2. सावन पुत्र बाकिर नि0 चाहडवाला थाना मंडावर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरणः-

02 अवैध तमंचे 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास अर्जन उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 99/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना मंडावर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 315 /23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना मंडावर जनपद बिजनौर।

3.मु0अ0सं0 105/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मंडावर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र गिरी थाना मंडावर जनपद बिजनौर
3. हे0का0 401 दीपक राणा थाना मंडावर जनपद बिजनौर
4. हे0का0 617 कुशलपाल सिंह थाना मंडावर जनपद बिजनौर
5. हे0का0 364 लालू यादव थाना मंडावर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना कोतवाली शहर   दिनांक- 21.03.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 235/2024 धारा 323/504/506/427/307 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 20/03/2024 को वादी नरेन्द्र कुमार पुत्र हुकम सिंह निवासी ग्राम जमालपुर पठानी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि वादी के पुत्र सुमित ने अपने छोटे भाई रीतिक के साथ मारपीट की व जान से मारने की नियत से रीतिक का गला दबाया जिससे वह गम्भीर रुप से घायल हो गया। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 235/2024 धारा 323/504/506/427/307 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.03.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 235/2024 धारा 323/504/506/427/307 भादवि में वांछित अभियुक्त सुमित कुमार पुत्र हुकम सिंह निवासी ग्राम जमालपुर पठानी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सुमित कुमार पुत्र हुकम सिंह निवासी ग्राम जमालपुर पठानी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 प्रशान्त सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.मुख्य आरक्षी 608 सुनील थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ **दिनांक – 21.03.2024**

थाना अफजलगढ पुलिस ने अवैध खनन में संलिप्त ट्रेक्टर को किया सीज।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा शेरगढ क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर अवैध खनन में संलिप्त ट्रेक्टर रजि0 नं0 UP20AU7515 को बिना किसी वैध अनुमति के मौके पर खनन करते हुये पाये जाने पर सीज किया गया तथा उक्त ट्रेक्टर को थाने पर लाकर दाखिल किया गया। उक्त सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट सम्बन्धित को प्रेषित की गयी है।

बरामदगी –

ट्रेक्टर रजि नं0 UP20AU7515

पुलिस टीम का विवरण –

1.उ0नि0 श्री नरेश कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
2.कां0 117 सत्यवीर थाना थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
3.कां0 2521 सचिन कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 21.03.2024**

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद करनाल (हरियाणा) में आयोजित 72वीं अखिल भारतीय कुश्ती कलस्टर 2023 – 2024 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले मुख्य आरक्षी शुभम मलिक व आरक्षी पवन शर्मा को स्वर्ण पदक व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गयी।

अवगत कराना है कि दिनांक 04.10.2023 से दिनांक 08.10.2023 तक पुलिस लाइन्स मधुबन, जनपद करनाल (हरियाणा) में 72वीं अखिल भारतीय कुश्ती कलस्टर 2023 – 2024 का आयोजन किया गया। उपरोक्त पॉवर लिफ्टिंग स्पर्धा में रिजर्व पुलिस लाइन्स, जनपद बिजनौर में नियुक्त आरक्षी शुभम मलिक ने 74 किलोग्राम प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया तथा आरक्षी पवन शर्मा ने 66 किलोग्राम प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया।

उल्लेखनीय है कि आरक्षी शुभम मलिक द्वारा वर्ष – 2022 में पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में रजत व वर्ष – 2023 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया है, जिसके फलस्वरुप आरक्षी शुभम मलिक को आरक्षी से मुख्य आरक्षी पद पर प्रोन्नति प्रदान की गयी है।

आज दिनांक 21.03.2023 को पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा पुलिस कार्यालय पर मुख्य आरक्षी शुभम मलिक व आरक्षी पवन शर्मा को स्वर्ण पदक व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गयी।